दिनांक 20.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 30/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शामली/थाना–थानाभवन

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 19.11.2024 को थाना–थानाभवन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खानपुर पुलिया रजवाहे के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इस्लाम उर्फ काला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना–थानाभवन पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना–थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इस्लाम उर्फ काला निवासी ग्राम अकबरपुर सुनहैटी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1–चोरी की 02 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद जौनपुर/थाना गौराबादशाहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 20.11.2024 को थाना गौराबादशाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लिलहा मोड़ के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोहम्मद उमर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गौराबादशाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहम्मद उमर निवासी चोरसंड थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रसूलपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये कीमत की 118 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 आयशर कैंटर वाहन आदि बरामद**

दिनाक 20.11.2024 को थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना रसूलपुर क्षेत्र से अभियुक्त संदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये कीमत की 118 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 आयशर कैंटर वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप निवासी कुरियकियान पुरा थाना मनसुखपुरा कमिश्नरेट आगरा, हालपता क्लीनिक रजोकरी थाना बसंतकुंज नई दिल्ली।

बरामदगी

1–लगभग 20 लाख रूपये कीमत की 118 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 आयशर कैंटर वाहन आदि।

- **जनपद सीतापुर/थाना रेउसा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना रेउसा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त महेशुर को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद संतकबीरनगर/थाना महुली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बृजलाल को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली नगर कर्वी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सूरज को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना मंझनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना मंझनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पवन कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना तिलहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)(जी) भादवि

के अन्तर्गत अभियुक्त छोटे सिंह को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सिरीश कुमार को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफ–कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बैकों एवं हाउसिंग लोन कम्पनियों से लोन स्वीकृत कराकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 04 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार।</u>

दिनांक 20–11–2024 को एसटीएफ उ0प्र0 को कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बैकों एवं हाउसिंग लोन कम्पनियों से लोन स्वीकृत कराकर करोड़ों की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के 04 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1– मो0 आरिफ पुत्र मो0 उमर निवासी निवासी वरावन कला माल रोड, पास दुबग्गा लखनऊ।

2– मो0 वाशिल पुत्र मो0 आरिफ निवासी जूते वाली गली अमीनाबाद लखनऊ। हाल पता– आशियाना अपार्टमेन्ट माडल हाउस अमीनाबाद लखनऊ।

3– शिव प्रताप सिंह पुत्र स्व0 सूरजवली सिंह निवासी ग्रा0 सिरकोहिया पो0 महमूदाबाद जिला सीतापुर उ0प्र0।

4– अर्पित श्रीवास्तव पुत्र स्व0 विनोद कुमार श्रीवास्तव निवासी कनकसिटी सरीपुरा आलमनगर लखनऊ।

बरामदगीः–

1– 13 अदद मोबाईल फोन।

2– 04 अदद कूटरचित आधार कार्ड।

3– 01 अदद कूटरचित पैन कार्ड।

4– 15 विभिन्न बैकों के एटीएम कार्ड।

5– 05 विभिन्न बैकों की पास बुक।

6– 04 विभिन्न बैकों की चेक बुक।

7– 02 बुलेट मोटर साइकिल (यूपी 32 पीएम 0727, यूपी 32 पीए 4282)

8– 01 अदद वैगनआर कार नं0 यूपी 32 ईक्यू 4330

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–

पिकप भवन तिराहे से मधुरिमा की तरफ जाने वाले मार्ग पर, थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ। दिनांक 19–11–2024 समय 22.35 बजे

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश लखनऊ को विगत काफी दिनों से जनपद लखनऊ में बैकों एवं हाउसिंग लोन कम्पनियों से कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से लोन स्वीकृत कराकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में ठीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह, उपनिरीक्षक मनोज कुमार, मु0आ0 विनोद सिंह, गौरव सिंह, प्रशान्त कुमार सिंह, रणधीर सिंह, अखिलेश कुमार, शेरबहादुर, कृष्ण कुमार त्रिपाठी की टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि फर्जी लोन कराने वाले गिरोह के कुछ सदस्य पिकप भवन के पास मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग ठगी करने के उद्देश्य से प्रापर्टी का कूटरचित अभिलेख, कूटरचित पैन व आधार कार्ड के आधार पर अलग–अलग व्यक्तियों की फोटो बदलकर, फर्जी लोगों को खडाकर बैंक आफ महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यूको बैंक आदि अन्य बैंकों में खाता खुलवाते है तथा फर्जी विक्रेता खडाकर जमीन की रजिस्ट्री कराते है तथा उसी रजिस्ट्री के आधार पर होम फर्स्ट, पिरामल, गृह शक्ति हाउसिंग, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेस, किप्स हाउसिंग फाइनेंस आदि में होम लोन अप्लाई कराते है। हाउसिंग लोन कम्पनियों तथा बैंकों के सर्वेयर व कर्मचारियों से मिलकर लोन पास करा लेते है तथा प्राप्त रूपयों को आपस में बांट लेते है। प्राप्त रूपयों से ही लोन की कुछ किष्ते भरते है ताकि कम्पनियों को शक न हो और नये फर्जी लोन आसानी से करा सके। कुछ समय बाद किष्त देना बंद करके गायब हो जाते है। अब तक करीब 25–30 फर्जी तरीके से होम लोन करा चुके है। जिसमें होम फर्स्ट हाउसिंग से लगभग 18 फाइले, पिरामल फाइनेंस से लगभग 10, गृह शक्ति व किप्स हाउसिंग फाइनेंस से लगभग 05 फाइले करा चुके है। अब तक लगभग 05 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना विभूतिखंड, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 409/2024 धारा 318(4)/319(2)/336(2)/338/340(2)/3(5) बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>मो0 आरिफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–</u>

1– मु0अ0सं0– 788/17 धारा– 467,468,471,406,420 भादवि थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ।

<u>मो0 वाशिल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–</u>

1– मु0अ0सं0– 67/15 धारा– 419/420/467/468/471 भादवि थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।

एसटीएफ–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध कारतूस की तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य एवं रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अंकित कुमार पाण्डेय गिरफ्तार।

दिनांक 20–11–2024 को एसटीएफ उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध कारतूस की तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य एवं रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अंकित कुमार पाण्डेय को बलिया से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

अंकित कुमार पाण्डेय पुत्र सुशील पाण्डेय निवासी बाराचवर, थाना करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर।

बरामदगीः–

1– 01 अदद मोबाइल फोन।

2– नगद 250/रूपये

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

रेलवे स्टेशन, बलिया थाना क्षेत्र जी0आर0पी0 जनपद बलिया। दिनांक 20.11.2024

अवैध कारतूस की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के पूर्वांचल में सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम जनपद बलिया में मौजूद थी कि विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना जी0आर0पी0 बलिया में पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2024 धारा 3/25/111(3) आर्म्स एक्ट में वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित कारतूस तस्कर अंकित कुमार पाण्डेय बलिया रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी टीम द्वारा विष्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर अंकित कुमार पाण्डेय उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि गांव नसीरपुर कटरिया के रहने वाले रोशन यादव के साथ पढता था और दोनों अच्छे दोस्त थे। इन दोनों के साथ पढ़ने वाले कुछ लडके काशी विद्यापीठ वाराणसी में पढ़ते थे, जिनसे ये दोनों प्रायः मिलने जुलने के लिये आते–जाते रहते थे। इसी दौरान इन दोनो की दोस्ती मिर्जापुर की रहने वाली एक लडकी से हो गया। रोशन यादव ने वाराणसी मे एक किराये का मकान लेकर वही पर उक्त महिला मित्र को रखवाया था, जहॉ पर इन दोनों का प्रायः आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान इन दोनों की जान पहचान कारतूस की तस्करी करने वाले जनपद जौनपुर के शुभम सिंह से हो गयी। शुभम सिंह ही इन दोनों को कारतूस लाकर जनपद जौनपुर के शाहगंज में देता था। यह दोनों उक्त अवैध कारतूस को ले जाकर बिहार के अपराधियों को ऊॅचे दामों पर बेच देते थे। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित कुमार पाण्डेय दिनांक 15–10–2024 से 23–10–2024 के बीचे दो बार में 750 कारतूस ले जाकर बिहार के अपराधियों को बेचा था। दिनांक 23–10–2024 को अंकित कुमार पाण्डेय, रोशन सिंह एवं इनकी महिला मित्र 750 कारतूस लेकर बिहार के अपराधियों को बेचने जा रहे थे। किसी को संदेह न हो इसलिये कारतूस लेकर महिला मित्र को दूसरे बोगी में बैठाये थे और अंकित कुमार पाण्डेय व रोशन यादव पीछे के बोगी में बैठे थे। जी0आर0पी0 बलिया पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान इनके महिला मित्र को कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया था तथा यह दोनो मौके से फरार हो गये थे। इस संबंध में थाना जी0आर0पी0 बलिया में आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें अंकित कुमार पाण्डेय वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित कुमार पाण्डेय को मु0अ0सं0 46/2024 धारा 3/25/111(3) आर्म्स एक्ट में थाना जी0आर0पी0 बलिया में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

––––––